

न्यायालय:- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0

प्रकरण क्रमांक 28/2016 सत्रवाद

संस्थित दिनांक. 20.01.2016

मध्य प्रदेश शासन द्वारा पुलिस थाना
मालनपुर जिला भिण्ड म0प्र0।

-----अभियोजन

बनाम

मातादीन पुत्र रामसेवक गौड, उम्र 45 वर्ष।
निवासी खुमान पुरा, आरक्षी केन्द्र मालनपुर,
जिला भिण्ड म0प्र0

-----अभियुक्त

न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद श्री गोपेश गर्ग
के न्यायालय के मूल आपराधिक प्र0क्रं0. 1363/2015 इ0फौ0
से उदभूत यह सत्र प्रकरण क्रं0 28/2016

शासन द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री दीवान सिंह गुर्जर।
अभियुक्त द्वारा श्री आर0सी0 यादव अधिवक्ता।

//नि र्ण य//

//आज दिनांक 17-02-2017 को घोषित किया गया//

01. आरोपी का विचारण धारा 306 भा.दं.वि. के अपराध के आरोप के संबंध में किया जा रहा है। उस पर आरोप है कि दिनांक 5-6/7/2015 की रात्रि मृतिका लीलावती के घर के आगे का कमरा ग्राम खुमानपुरा में मृतिका को परेशान और प्रताडित कर आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित किया, जिसके फलस्वरूप उसके द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या की गई।
02. यह अविवादित है कि आरोपी मातादीन मृतिका लीलावती का पति है।
03. अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 09.07.2015 को खुमानपुरा निवासी मातादीन के द्वारा थाना मालनपुर पर सूचना दी कि उसकी पत्नी लीलावती उम्र 42 वर्ष रात करीब 11 बजे घर के आंगन में बच्चों के साथ सोई थी वह कमरे में सोया था। सुबह जागकर देखा तो पत्नी आंगन में नहीं दिखी तब कमरे में जाकर देखा तो बैठक वाले कमरे में रस्सी से फांसी लगाकर खत्म हो गई। तब उसने व उसकी बहन गंगादेवी ने

उसे नीचे उतारा जो खत्म हो चुकी थी। उक्त सूचना पर से मर्ग क्रमांक 13/2015 अंतर्गत धारा 174 सी.आर.पी.सी. का कामय कर जॉच में लिया गया है। दौराने जॉच शव पंचायतनामा बनाया जाकर सफीनाफार्म जारी किया गया। शव का पोस्टमार्टम कराया गया। घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया तथा घटनास्थल से एक रस्सी जप्त की गई, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए। दौराने जॉच पाया गया कि मृतिका को उसके पति मातादीन गौडा द्वारा ससुर रामसेवक से भैंस बिक्रय होने के रूपए मांगने को मजबूर करने पर मृतिका द्वारा मना किया गया, जिस पर मातादीन के द्वारा मृतिका को लगातार प्रताड़ित कर मारपीट की गई व मानसिक व शारीरिक रूप से पीडा पहुँचाई गई जिसे मृतिका सहन नहीं कर सकी और रात्रि के समय फाँसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई। जिस पर से आरोपी के विरुद्ध अपराध पाए जाने से अप0कं0 193/2015 धारा 306 भा0दं0वि0 प्र.पी. 15 का प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर अभियोगपत्र आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में पेश किया गया जो कि कमिट उपरांत माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार विचारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

04. आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टिया धारा 306 भा.दं.वि. का आरोप पाया जाने से आरोप लगाकर पढकर सुनाया समझाया गया। आरोपी ने जुर्म अस्वीकार किया उसकी प्ली लेखबद्ध की गई।

05. दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त परीक्षण में आरोपी ने स्वयं को निर्दोष होना बताते हुए झूठा फंसाया जाना अभिकथित किया है। बचाव में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है।

06. आरोपी के विरुद्ध आरोपित अपराध के संबंध में विचारणीय यह है कि:-

1. क्या आरोपी के द्वारा दिनांक 5-6/7/2015 या उसके करीब मृतिका लीलावती को परेशान व प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित किया गया?
2. क्या आरोपी के उक्त दुष्प्रेरण के फलस्वरूप मृतिका लीलावती के द्वारा दिनांक 5-6/7/2015 की रात्रि में अपने घर के आगे का कमरा ग्राम खुमानपुरा में फाँसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई?

—: सकारण निष्कर्ष:—

बिन्दु क्रमांक 1 व 2 :-

07. डॉक्टर आलोक शर्मा अ0सा0 6 अनुसार दिनांक 06.07.2015 को सामुदायिक

स्वास्थ्य केन्द्र गोहद में मेडीकल ऑफीसर के पर पदस्थ दौरान उसी दिनांक को थाना मालनपुर के आरक्षक पंचमसिंह द्वारा लाए जाने पर मृतिका लीलावती पत्नी मातादीन का शव परीक्षण किया गया था। जिनके अनुसार मृतिका सामान्य कदकाठि की होना एवं उसके शरीर पर साड़ी तथा ब्लाउज मौजूद था। मृतिका के पूरे शरीर में मृत्यु पश्चात् की अकड़न मौजूद थी। मृतिका की गर्दन में आड़ा तिरछा 1 से लेकर 1.8 से.मी. चौड़ाई का फंदे का निशान मौजूद था जिसकी गठान का निशान दाईं तरफ था। फंदे का निशान तिरछा था। मृतिका की मुँह खुला हुआ जीभ दाँतों के पीछे थे, पैर के पंजे नीचे की ओर झुके हुए थे। मृतिका के गुदा के आसपास, दाईं भुजा, बाएँ टकना तथा जांघ पर मल मौजूद था तथा दाईं आँख के ऊपरी भाग पर 0.8 गुणा 0.2 से.मी. का छिले होने का घाँव था। **आंतरिक परीक्षण-** मृतिका की कंठ तथा स्वांसनली, फेंफड़े, मुँह तथा ग्रासनली, यकृत, प्लीहा, गुर्दा कंजेस्टेड थे। पेट व छोटी आँत खाली थी, मृतिका की आँख के उपर वाली चोट मृत्यु के बाद की थी। अभिमत में डॉक्टर आलोक शर्मा के द्वारा बताया गया है कि मृतिका की मृत्यु फांसी के द्वारा दम घुटने से हुई थी जो कि मृत्यु शवपरीक्षण के 06 से 24 घण्टे के भीतर की थी। शव परीक्षण रिपोर्ट प्र. पी. 7 है जिसके ए से ए भाग उनके हस्ताक्षर हैं।

08. मृतिका लीलावती के द्वारा फाँसी लगाकर आत्महत्या करना साक्षी गंगादेवी अ0सा0 1, रामश्री अ0सा0 2, रामसेवक अ0सा0 3, जगदीश अ0सा0 4, निरंजन अ0सा0 7 के कथनों में आया है, जिन्होंने कि अपने साक्ष्य कथनों में मृतिका लीलावती के द्वारा रस्सी से फाँसी लगाकर आत्महत्या करने के संबंध में बताया है।

09. उपरोक्त संबंध में प्र0आर0 आरक्षक गजेन्द्रसिंह अ0सा0 8 जिन्होंने कि सूचनाकर्ता/आरोपी मातादीन के द्वारा दी गई सूचना के आधार पर अकाल मृत्यु की सूचना प्र. पी. 11 दर्ज की जानी बताई है जिस पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है। उक्त सूचना के पश्चात् मर्ग कायम उपरांत मर्ग की जाँच ए.एस.आई. सुभाष पाण्डेय अ0सा0 9 के द्वारा की गई है, जिन्होंने कि दिनांक 06.07.2015 को घटनास्थल का नक्शामौका प्र.पी. 12 तैयार करना एवं उक्त दिनांक को ही घटनास्थल से प्लास्टिक की रस्सी जिसमें फाँसी का फंदा बना हुआ था मृतक के शव के गले के पास पड़ी होने से जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 5 तैयार करना जिस पर बी से बी भाग पर उनके हस्ताक्षर होना बताया है। इसके अतिरिक्त शफीनाफार्म प्र.पी. 8 तैयार करना जिस पर बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है और लाश का पंचायतनामा प्र.पी. 9 तैयार करना जिस पर बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है एवं जाँच उपरांत जाँच रिपोर्ट प्र.पी. 13 तैयार करना जिस पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है। इस संबंध में अभियोजन साक्षी निरंजन अ0सा0 7 के द्वारा

भी रस्सी जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 5 तैयार करना तथा शफीनाफार्म प्र.पी. 8 और लाश पंचायतनामा प्र.पी. 9 तैयार किया जाना और उन पर उनके हस्ताक्षर होना भी स्वीकार किया है।

10. मृतक लीलावती की मृत्यु की प्रकृति का जहाँ तक प्रश्न है, प्रकरण में कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं है जिससे कि उसकी मृत्यु मानव वध की कोटि का होना माना जाए। मृतिका की मृत्यु किसी बीमारी से अथवा प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में हुई हो अथवा किसी दृघटना के फलस्वरूप हुई हो ऐसा भी कोई साक्ष्य नहीं है। प्रकरण में आई हुई साक्ष्य से मृतिका लीलावती की मृत्यु आत्म हत्यात्मक प्रकार की होनी स्पष्ट होनी पाई जाती है।

11. मृतिका लीलावती की मृत्यु रस्सी से फाँसी लगाने के कारण होना पूर्ववर्ती विवेचना से स्पष्ट होता है। अब विचारणीय यह हो जाता है कि – क्या आरोपी के द्वारा मृतिका को आत्महत्या करने हेतु दुष्प्रेरित किया गया?

12. मृतिका लीलावती को आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित करने का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में धारा 306 भा0दं0वि0 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो जो व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित करता है उसे दण्ड के संबंध में प्रावधान किया गया है। दुष्प्रेरण को धारा 107 भा0दं0वि0 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। दुष्प्रेरण तीन प्रकार से हो सकता है। (i) उकसाने द्वारा (ii) षड्यंत्र द्वारा (iii) साशय, सहायता या लोप के द्वारा। वर्तमान प्रकरण का जहाँ तक प्रश्न है, वर्तमान प्रकरण में कोई भी ऐसी साक्ष्य नहीं आई है जिससे कि यह प्रमाणित होता हो कि आरोपीगण या किसी आरोपी के द्वारा मृतिका को आत्महत्या करने हेतु दुष्प्रेरित किया गया हो जो कि इस बिन्दु पर प्रकरण में न तो कोई चक्षुदर्शी साक्ष्य है और न ही परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर इस बात की कोई पुष्टि होती है कि आरोपी के द्वारा मृतिका को आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित किया गया है।

13. अभियोजन साक्षी रामसेवक अ0सा0 3 जो कि आरोपी का पिता है के द्वारा इस बात को स्वीकार किया है कि उसने अपनी पुत्री गंगादेवी को अपनी भैंस 45000/- रूपए में घटना के पूर्व बैच दी थी, जिसका पैसा उसने प्राप्त किया था, किन्तु उक्त पैसे की बात को लेकर आरोपी के द्वारा उसे एवं अपनी पत्नी लीलावती से झगडा करने या इस कारण लीलावती को परेशान व प्रताडित किए जाने के संबंध में और उसे मर जाने के लिए कहने के संबंध में अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन उक्त साक्षी के द्वारा नहीं किया गया है। ऐसी दशा में मात्र इस आधार पर कि आरोपी के पिता के द्वारा भैंस बैची जाकर उनके द्वारा पैसे प्राप्त किए गए थे, इस आधार पर आरोपी के द्वारा अपनी पत्नी मृतिका लीलावती को आत्महत्या करने के लिए दृष्प्रेरित किया जाने का कोई होना नहीं माना जा सकता है। अन्य

अभियोजन साक्षी गंगादेवी अ0सा0 1, रामश्री अ0सा0 2, जगदीश अ0सा0 4 जो कि ग्राम खुमान का पुरा के ही रहने वाले हैं और जो घटना के समय गांव में मौजूद होना बताए जा रहे हैं, उक्त अभियोजन साक्षीगण के द्वारा कि आरोपी के द्वारा मृतिका को आत्महत्या करने हेतु दुष्प्रेरित किये जाने के संबंध में कोई भी बात अपने साक्ष्य कथन के दौरान नहीं बताई है। इस प्रकार उक्त साक्षीगण के कथन के आधार पर भी आरोपी के द्वारा मृतिका को आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित किये जाने के तथ्य की कोई पुष्टि नहीं होती है।

14. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी रामसिया अ0सा0 5 जो कि मृतिका लीलावती का पिता है, निरंजन अ0सा0 7 जो कि मृतिका का भाई है। उक्त साक्षीगण के कथनों में भी आरोपी के द्वारा मृतिका को परेशान व प्रताड़ित किये जाने जिससे कि वह आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुई है इस तथ्य की पुष्टि नहीं हुई है।

15. इस प्रकार घटना के संबंध में अभियोजन के द्वारा बताए गए साक्षीगण के कथनों से इस तथ्य का कि आरोपी मातादीन के द्वारा अपनी पत्नी लीलावती को परेशान व प्रताड़ित करने एवं उसे आत्महत्या करने हेतु दुष्प्रेरित करने के संबंध में अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन या पुष्टि नहीं होती है।

16. अभियोजन के द्वारा अपने तर्क में मुख्य रूप से यह बताया गया है कि मृतिका की मृत्यु फाँसी लगाकर उसके घर में हुई है और उसकी मृत्यु रात्रि के समय संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है एवं उस समय घर में उसके बच्चों के अतिरिक्त मात्र आरोपी मातादीन जो कि उसका पति है मौजूद था और वह भी उसी घर में सोया हुआ था और इसी दौरान घटना घटित हुई है। आरोपी के पिता के द्वारा भैंस बैचकर उनके पैसे उनके पास होने का तथ्य भी अभियोजन साक्ष्य से स्पष्ट है। इस परिप्रेक्ष्य में रात्रि के समय आरोपी के द्वारा अपनी पत्नी को परेशान व प्रताड़ित किया गया हो और उसकी प्रताड़ना से मृतिका के द्वारा फाँसी लगा ली गई हो, यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य से प्रमाणित है। इस संबंध में उनके द्वारा यह भी बताया गया है कि मृतिका का शव प्लाटिक की रस्सी के फंदे में होना पाया गया है जो कि उक्त रस्सी की जप्ती की गई है वह उक्त तथ्य की सम्पुष्टि करता है।

17. उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। इस संबंध में यद्यपि घटना की मर्ग सूचना जो कि स्वयं आरोपी मातादीन के द्वारा थाना पर दी गई है। मर्ग सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 11 है। उसके द्वारा घर पर उसकी पत्नी और बच्चे रात्रि के समय सो जाना फिर सुबह उसके द्वारा यह देखा गया कि उसकी पत्नी बैठक वाले कमरे में रस्सी से फाँसी लगाकर खत्म हो गई है की सूचना उसके द्वारा थाने पर दी गई है। उक्त तथ्य इस बात को दर्शाता है कि मृतिका की मृत्यु रात्रि के समय फाँसी लगाने से हुई है, किन्तु उसकी मृत्यु के पूर्व उसके द्वारा

अपनी पत्नी को प्रताडित किया गया हो अथवा उसके साथ कोई मारपीट की गई हो, इस आशय का कोई भी साक्ष्य नहीं है। निश्चित तौर से यदि पति के द्वारा रात्रि के समय अपनी पत्नी को प्रताडित किया गया या उसे मारा पीटा जाता तो हल्ला सुनकर पड़ोस के लोग आ सकते थे और घर में जो कि बच्चे सो रहे थे वह भी जाग सकते थे, किन्तु ऐसा कोई भी साक्ष्य अभियोजन के द्वारा पेश नहीं किया गया है। मात्र इस परिस्थिति के आधार पर कि घर में आरोपी अपनी पत्नी व बच्चों के साथ था इससे कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। आरोपी के द्वारा अपनी पत्नी को परेशान प्रताडित किया गया हो और उसे आत्महत्या करने हेतु किसी प्रकार से दुष्प्रेरित किया गया हो। इस संबंध में जप्तीकर्ता अधिकारी के द्वारा रस्सी की जप्ती प.प्री. 5 के अनुसार की जानी बताई गई है के आधार पर तथा विवेचनाधिकारी के द्वारा विवेचना की कार्यवाही जैसा कि विवेचक शिवसिंह अ0सा0 10 के द्वारा बताई गई है के आधार पर अभियोजन प्रकरण की प्रमाणिकता सिद्ध होनी नहीं कही जा सकती है।

18. उपरोक्त विवेचना एवं विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यद्यपि मृतिका लीलावती का आत्महत्या का तथ्य प्रमाणित है, किन्तु प्रकरण में आई हुई साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपी के द्वारा ही उसे आत्महत्या के लिए किसी प्रकार से दुष्प्रेरित किया गया हो। ऐसी दशा में आरोपी के विरुद्ध धारा 306 भा0दं0वि0 की प्रमाणित सिद्ध होनी नहीं पाई जाती है। आरोपी मातादीन को धारा 306 भा0दं0वि0 के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

19. आरोपी के जमानत मुचलके उन्मोचित किए जाते हैं।

20. प्रकरण में जप्तशुदा रस्सी मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट की जाए। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जाए। निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित हस्ताक्षरित एवं घोषित किया गया। मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी0सी0थपलियाल)
अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद, जिला भिण्ड (म0प्र0)

(डी0सी0थपलियाल)
अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद, जिला भिण्ड (म0प्र0)